



राजस्थान सरकार
निदेशालय पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने), जयपुर
टेलीफोन 0141-2822847/859 फेक्स न. 0141-2822800
www.tourism.rajasthan.gov.in/dotfestivals@gmail.com

क्रमांक: एफ.4()पवि/मेले-त्योहार/2020/15720


दिनांक : 3/12/2020

कार्यालय आदेश

विभाग के प्रचार-प्रसार गतिविधियों में विशेषकर रेडियों व टी.वी, विज्ञापनों एवं प्रचार पुस्तिकाओं, ब्रोसर्स, पोस्टर मुद्रण आदि कार्यों में व सोशल मीडिया में प्रयोग हेतु बनाये जाने वाले क्रिएटिक्स और ऑडियो विजुअल में विभिन्न प्रकार के फोटोग्राफ्स, वीडियो व ऑडियो क्लिप और साउन्ट ट्रैक, पार्श्व संगीत आदि को प्रयोग में लिया जाता है।

सभी विभागीय अधिकारियों/शाखा प्रभारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वो विभाग के स्तर पर अथवा किसी एजेंसी के माध्यम से बनाये जाने वाले प्रसार सामग्री में प्रयुक्त फोटोग्राफ, ऑडियो-विजुअल सामग्री, संगीत अन्य कान्टेन्ट की बौद्धिक सम्पदा अधिकार सम्बन्धी तथ्यों को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही ऐसे सामग्री को प्रयोग में लें। यदि किसी फोटोग्राफ, ऑडियो विजुअल कान्टेन्ट को उपयोग में लेने के अधिकार विभाग के पास नहीं है तो उस का प्रयोग नहीं किया जावे।

सभी इस की गम्भीरता से पालना सुनिश्चित करे।


(निशान्त जैन)
निदेशक, पर्यटन
दिनांक :

क्रमांक: एफ.4()पवि/मेले-त्योहार/2020/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक प्रशासन/विकास, पर्यटन विभाग, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, पर्यटक अधिकारी, सहायक पर्यटक अधिकारी समस्त पर्यटन विभाग के कार्यालय एवं शाखाएं।

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक (मेले-त्यो)